

**झारखण्ड सरकार**  
**श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग**


**अधिसूचना**

01-4-2011

एस0ओ0.....दिनांक..... न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल यह घोषणा करते हैं कि एतद् संबंधी अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित नियोजनों में (इसके आगे उक्त अनुसूचित नियोजनों में विनिर्दिष्ट) नियोजित कर्मचारियों के प्रायोज्य मूल्य सूचकांक अनुसूची के स्तम्भ-3 में प्रदर्शित मासों के लिए उक्त अधिनियम की धारा-2 के खण्ड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची के स्तम्भ-4 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

क्रम सं०	अनुसूचित नियोजनों के नाम	माह एवं वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960=100)
1	2	3	4
1	बाँध निर्माण एवं सिंचाई कार्यों के नियोजन	जुलाई, 2010	4063.01
2	पकाई हुई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानों के नियोजन	अगस्त, 2010	4063.01
3	चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशलाओं के नियोजन	सितम्बर, 2010	4085.83
4	कोल्ड स्टोरेज के नियोजन	अक्टूबर, 2010	4131.48
5	डिस्टीलरीज के नियोजन	नवम्बर, 2010	4154.31
6	पॉट्रीज के नियोजन	दिसम्बर, 2010	4222.79
7	बेकरीज एवं कनफेक्शनरीज के नियोजन	कुल	24720.43
8	को-ऑपरेटिव सेक्टर के नियोजन	औसत	24720.43
9	अल्यूमिनियम उद्योग के नियोजन		6
10	खण्डसारी उद्योग के नियोजन		= 4120.07
11	केमिकल एण्ड फर्मास्युटिकल उद्योग के नियोजन		या 4120 विन्दु
12	साबुन निर्माण उद्योग के नियोजन		
13	सिमेन्ट प्री-स्टेस्ट प्रोडक्शन उद्योग के नियोजन		
14	एसबेस्टस सिमेन्ट कारखाना के नियोजन		
15	ग्लास सीट निर्माण के नियोजन		
16	बन्दुक कारखाने के नियोजन		
17	धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान के नियोजन		
18	पेपर उद्योग के नियोजन		
19	लॉण्ड्री एवं वाशिंग के नियोजन		

20	होजियारी निर्माण के नियोजन		
21	सिन्दुर एवं रंग बनाने का उद्योग के नियोजन		
22	चर्म-वस्तु निर्माण के नियोजन		
23	उड वर्क्स एवं फर्निचर के नियोजन		
24	आइस्क्रीम एवं कोल्ड ड्रिंक्स के नियोजन		
25	पेट्रोल एवं डीजल पम्प के नियोजन		
26	फिशरीज के नियोजन		
27	खादी ग्रामोद्योग के नियोजन		
28	प्राइवेट फेरिज एण्ड एल0टी0सी0 के नियोजन		
29	हार्ड कोक भट्टा के नियोजन		
30	निजी अस्पताल नर्सिंग होम्स एवं क्लीनिक्स के नियोजन		
31	सड़क के निर्माण या अनुरक्षण अथवा निर्माण कार्यों के नियोजन		
32	मुद्रणालय के नियोजन		
33	अबरख कार्यों (खादानों को छोड़कर कारखानों एवं प्रतिष्ठान) नियोजन		
34	हैण्डलूम उद्योग के नियोजन		
35	स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण नियोजन		
36	रिफ़ैक्ट्रीज फायर ब्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग के नियोजन		
37	किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान के नियोजन		
38	पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट के नियोजन		
39	किसी विश्वविद्यालय, शैक्षणिक शोध अथवा सांस्कृतिक संस्था नियोजन		
40	होटल, भोजन गृहों एवं रेस्तराओं के नियोजन		
41	ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले किसी प्रतिष्ठान नियोजन		
42	डेयरी एवं पोल्ट्री फार्म्स के नियोजन		
43	ऑटो मोबाइल इंजीनियरिंग शॉप के नियोजन		
44	सिनेमा उद्योग के नियोजन		
45	चावल मिलों, आटा मिलों, दाल मिलों के नियोजन		
46	तेल मिलों के नियोजन		
47	सिलाई उद्योग के नियोजन		



48	रबर एवं रबर कम्पाउन्ड उद्योग (जिसमें टायर एवं ट्यूब का निर्माण भी सम्मिलित है) के नियोजन		
49	बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरोन्स ट्यूब निर्माण उद्योग के नियोजन		
50	प्लास्टिक उद्योग के नियोजन		
51	सिमेन्ट से ह्यूम पाईप, बिजली का खम्भा एवं रेलवे स्लीपर बनाने के उद्योग के नियोजन		
52	कृषि नियोजन		
53	जिल्दसाजी उद्योग के नियोजन		
54	दफती, कार्डबोर्ड, पिल बोर्ड, कारगोटेड बोर्ड, एस्ट्रा बोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण के नियोजन		
55	इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के नियोजन		
56	प्लाइउड उद्योग के नियोजन		
57	ढलाई (फाउन्ड्री उद्योग) के नियोजन		
58	बिस्कुट उद्योग के नियोजन		
59	कोल ब्रिकेट उद्योग के नियोजन		
60	प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी के नियोजन		
61	लघु अभियंत्रण उद्योग (स्वचालित अभियंत्रण दुकानों को छोड़कर) के नियोजन		
62	मिनरल ग्राइडिंग के नियोजन		
63	बुहारने और सफाई का कार्य के नियोजन		
64	घरेलु नौकर के नियोजन		
65	स्पंज आयरन छड़ निर्माण एवं लोहा से एंगल बनाने तथा इनगोट के नियोजन		
66	मोटर गैराज एण्ड वर्क्स शॉप्स के नियोजन		
67	मोटर बॉडी बिल्डिंग के नियोजन		
68	मेस, कैन्टीन एवं क्लब के नियोजन		
69	चार्टर्ड/कॉस्ट एकाउन्ट्स/ऑडिटर/टैक्स कंसल्टेंसी एण्ड आर्किटेक्ट के नियोजन		
70	प्राइवेट तकनीकी संस्थान, कोचिंग इंस्टीच्यूट, निजी स्कूल आदि के नियोजन (शिक्षण कार्य छोड़कर)		
71	जमीन के नीचे वाटर सप्लाई पाईप लाईन एवं केबुल बिछाने के नियोजन		
72	इलेक्ट्रीसिटी जेनरेटर एण्ड सप्लाई के नियोजन		

73	पंडाल आदि का साज सज्जा आदि के नियोजन		
74	ग्राइडिंग एण्ड क्रशिंग ऑफ मिनरल ओर के नियोजन		
75	सवारी एवं माल वाहक वाहन चलाने वाले ड्राइवर/खलासी/परिचालक आदि के नियोजन		
76	कम्प्यूटर शिक्षा संस्थान आदि के नियोजन		

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होंगी, जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हैं। उपर्युक्त सूचकांक में यथा रिथति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तम्भ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जाएगी और उसे परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता का अंश समझा जाएगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाए जिस पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हैं, तो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित परिवर्तनशील मंहगाई भत्तों की दरों में कमी नहीं होगी। परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता का भुगतान उपर्युक्त दर से, जो जुलाई-दिसम्बर, 2010 (वर्ष 2010 का द्वितीय अर्द्धांश) के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित है, अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से देय होगा।

(संख्या-2/एम0डबलू0-2071/2010, श्र0नि0.1025...)  
झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(सूयदेव राम)

सरकार के अवर सचिव।

### अधिसूचना

01-04-2011

एस0ओ0.....दिनांक..... का अंग्रेजी भाषा में निम्नांकित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(संख्या-2/एम0डबलू0-2071/2010, श्र0नि0.1026...)  
झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(सूयदेव राम)

सरकार के अवर सचिव।

**NOTIFICATION**

01-04-2011

S.O...../ dated...../ In exercise of the powers conferred by section-3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), the Governor of Jharkhand is pleased to declare that the consumer price index number applicable to the employees employed in employments mentioned in column-2 of the schedule below here to appended (herein after referred to as the scheduled employment) for the months shown in column-3 of the said schedule shall be as shown in column-4 of the schedule-1 for the purpose of clause (d) of section-2 of the said Act.

Sl. No.	Scheduled Employment	Month & Year	All India Consumer Price Index No. (1960=100)
1	2	3	4
1	Dam Construction and Irrigation	July, 2010	4063.01
2	Shops Selling Cooked food stuff	August, 2010	4063.01
3	Tanneries and Leather Manufactory	September, 2010	4085.83
4	Cold Storage	October, 2010	4131.48
5	Distilleries	November, 2010	4154.31
		December, 2010	4222.79
		<b>Total-</b>	<b>24720.43</b>
6	Potteries	Average	<u>24720.43</u>
7	Bakeries and Confectionaries		6
8	Co-Operative Sector		= 4120.07
9	Aluminum Industry		Or <b>4120 point</b>
10	Khandsari Industry		
11	Chemical Pharmaceutical Industry		
12	Soap Making Industry		
13	Cement Pre-Stressed Product Industry		
14	Asbestos Cement factory		
15	Glass Sheet Industry		
16	Gun factory		
17	Religious and Social Industry		
18	Paper Industry		

19	Laundry and Washing		
20	Hosieries Manufacturing		
21	Manufacture of Sindur and Rang		
22	Manufacture of leather goods		
23	Wood work and Furniture		
24	Ice-cream and Cold drink		
25	Petrol and Diesel Pump		
26	Fisheries		
27	Khadi and Village Industry		
28	Private Ferrise and L.T.C.		
29	Hard Coke Oven		
30	Private Hospital, Nursing		
31	Construction or maintenance of Road or in building construction		
32	Printing Press		
33	Mica Works (Factories and Establishment Excluding Mines)		
34	Handloom Industry		
35	Manufacture of Gold Articles of stistic design		
36	Refractories, Fire bricks ceramic Industry		
37	Any shop or Establiment		
38	Public Motor Transport		
39	Any University, Education Research of Iultural Institution		
40	Hotels, Eating House and Resturant		
41	Any, Woolen Carpet making of Showl weaving Establishment		
42	Dairies and Poultry Farms		
43	Auto Mobile Engineering		
44	Cinema Industry		

45	Rice Mills, Flour Mills and Dal Mills		
46	Oil Mills		
47	Tailoring Industry		
48	Rubber and Rubber Compound Industry (in which manufacture of Tyre and Tube is also included)		
49	Electric and other type of bulb and Florence Tube Manufacture Industry		
50	Plastic Industry		
51	Cement Hume Pipe, Electric Pole and Railway sleeper Manufacture Industry		
52	Employment in Agriculture		
53	Book Binding Industry		
54	Dafti, Card Board, Mill Board, Corrageted Board, Gatta Board Manufactory		
55	Electronics Industry		
56	Plywood Industry		
57	Foundry Industry		
58	Biscuit Industry		
59	Coal Briquette Industry		
60	Private Security Agency		
61	Minor Engineering Industry (Excluding Automobile Engineering Shops)		
62	Mineral Grinding Industry		
63	Employment of Sweeping and Cleaning		
64	Employment of Domestic Servant		
65	Sponse Iron, Rod manufacturing, and manufacturing of angle from Iron and Ingots		
66	Employment in Motor garages and workshops		
67	Employment of Motor Body Building.		

68	Employment of Mess, Canteens and Clubs		
69	Employment in Chartered/Casts accounts, auditors, tax consultancy and Architect.		
70	Private Technical Institution, Coaching Institute and Private Schools (Non teaching)		
71	Employment in laying of Under ground cables, electric lines, water supply lines and sewerage Pipe line.		
72	Employment in Electricity Generator and supply		
73	Employment in Decoration of Pandal etc.		
74	Grinding and crushing of Mineral ore.		
75	Employment of Bus and Truck Driver/Conductor and Cleaners.		
76	Computer Coaching Institute etc.		

These rates of variable dearness allowance will be based on the average of all India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages have been fixed/revised in the above schedule employments. There will be increase or decrease in wage of rates shown in column-4 with rise or fall as the case may be in aforesaid Index of the above schedule employments and it will be deemed as variable dearness allowance component. But even if index falls below the points on which minimum rates of wages have been fixed/revised, there will be not be any reduction in the minimum wages fixed/revised.

The payment of variable dearness allowance on the basis of average Consumer Price Index of July–December, 2010, which is 2<sup>nd</sup> half of 2010, will be payable from the date of this notification.

[No-2/MW-2071/2010 L&T.1025.....]

**By Order of the Governor of Jharkhand**

(Surya Deo Ram)

Under Secretary to Government

ज्ञापांक-2/एम0डब्लू0-2071/2010, श्र0नि0-1026.....रांची, दिनांक 01-04-2011

प्रतिलिपि:-अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, डोरन्डा, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि वे इस गजट की 500 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(सूर्यदेव राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-2/एम0डब्लू0-2071/2010, श्र0नि0-1026..... रांची, दिनांक 01-04-2011

प्रतिलिपि:-मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

(सूर्यदेव राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-2/एम0डब्लू0-2071/2010, श्र0नि0-1026..... रांची, दिनांक 01-04-2011

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/उप निदेशक, श्रम मंत्रालय (वेज सेल), भारत सरकार, नई दिल्ली/मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), धनबाद/निदेशक, लेबर ब्यूरो, शिमला/चण्डीगढ़/स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन नई दिल्ली/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी उप विकास आयुक्त/सचिव, न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद (केन्द्रीय) श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद के सभी सदस्यगण/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य गव्य विकास निगम, रांची/निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, झारखण्ड, रांची/सभी विभागीय पदाधिकारियों (तकनीकी सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

(सूर्यदेव राम)

सरकार के अवर सचिव।

## अनुसूची-1

क्रम सं०	अनुसूचित नियोजनों का नाम	अधिसूचना सं० एवं तिथि	प्रति बिन्दु परिवर्तनशील महंगाई भत्ता (पैसे में)	जनवरी, जून, 2010 तक का औसत मूल्य सूचकांक जिस पर न्यूनतम मजदूरी दरें निष्पत्ति की गई हैं।	जुलाई- दिसम्बर, 2010 तक का औसत मूल्य सूचकांक जिस पर महंगाई भत्ता देय है।	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि (6-5)	बड़े हुए मूल्य सूचकांक पर परिवर्तनशील महंगाई की अतिरिक्त राशि	तिथि जब से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि देनी होगी।
1	बाँध निर्माण एवं सिंचाई कार्यों के नियोजन	अधिसूचना सं०-932 दिनांक 01-04-2011	क) 127.00 रु० से 142.00 रु० तक - पैसे 3.24 ख) 142.00 रु० से अधिक 158.00 रु० तक - पैसे 3.62	3910	4120	210	क) रु० 127.00 से 142.00 तक रु० 6.81 प्रतिदिन ख) रु० 142.00 से अधिक तथा 158.00 तक रु० 7.62 प्रतिदिन ग) रु० 158.00 से अधिक तथा 191.00 तक रु० 8.48 प्रतिदिन घ) रु० 191.00 से अधिक रु० 10.25 प्रतिदिन	अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से
2	पकाई हुई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानों के नियोजन	अधिसूचना सं०-946 दिनांक 01-04-2011	ग) 158.00 रु० से अधिक 191.00 रु० तक - पैसे 4.03 घ) 191.00 रु० से अधिक पैसे 4.88					
3	चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं के नियोजन	अधिसूचना सं०-958 दिनांक 01-04-2011						
4	कोल्ड स्टोरेज के नियोजन	अधिसूचना सं०-936 दिनांक 01-04-2011						
5	डिस्टीलरीज के नियोजन	अधिसूचना सं०-930 दिनांक 01-04-2011	क) 3302.00 रु० से 3692.00 रु० तक - पैसे 84.31				क) रु० 3302.00 से 3692.00 तक रु० 177.06 प्रतिमाह ख) रु० 3692.00 से अधिक तथा रु० 4108.00 तक रु० 198.12 प्रतिमाह ग) रु० 4108.00 से अधिक तथा रु० 4966.00 तक रु० 220.48 प्रतिमाह घ) रु० 4966.00 से अधिक रु० 266.50 प्रतिमाह	
6	पाँट्रीज के नियोजन	अधिसूचना सं०-960 दिनांक 01-04-2011	ख) 3692.00 रु० से 4108.00 तक - पैसे 94.34					
7	दंकीज एवं कनकेशनरीज के नियोजन	अधिसूचना सं०-954 दिनांक 01-04-2011	ग) 4108.00 रु० से 4966.00 तक -रु० 1.05 घ) 4966.00 रु० से अधिक -रु० 1.27					
8	को-ऑपरेटिव सेक्टर के नियोजन	अधिसूचना सं०-952 दिनांक 01-04-2011						



0	1	2	3	4	5	6	7	8
9	अल्यूमिनियम उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
10	खण्डसारी उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
11	कौमिकल एण्ड फर्मास्युटिकल उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
12	साबुन निर्माण उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
13	सिमेन्ट ग्री-स्टेस्ट प्रोडक्शन उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
14	एसबेस्टस सिमेन्ट कारखाना के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
15	ग्लास शीट निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
16	बन्दुक कारखाने के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
17	धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
18	पेपर उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
19	लॉण्ड्री एवं वाशिंग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव



0	1	2	3	4	5	6	7	8
20	होजियासे निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
21	सिन्दुर एवं रंग बनाने का उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
22	चर्म-वस्तु निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
23	उड वर्क्स एवं फर्निचर के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
24	आइस्क्रीम एवं कोल्ड ड्रिक्स के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
25	पेट्रोल एवं डीजल पम्पस के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
26	फिशरीज के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
27	खादी ग्रामोद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
28	प्राइवेट फेरिज एण्ड एल0टी0सी0 के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
29	हाई कोक भट्टा के नियोजन	अधिसूचना स10-962 दिनांक 01-04-2011	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
30	निजी अस्पताल नर्सिंग होम्स एवं क्लीनिकस के नियोजन	अधिसूचना स10-944 दिनांक 01-04-2011	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

0	1	2	3	4	5	6	7	8
31	सड़क के निर्माण या अनुरक्षण अथवा निर्माण कार्यों के नियोजन	अधिसूचना सं०-928 दिनांक 01-04-2011	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
32	मुद्रणालय के नियोजन	अधिसूचना सं०-942 दिनांक 01-04-2011	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
33	अवरख कार्यों (खादानों को छोड़कर कारखानों एवं प्रतिष्ठान) के नियोजन	अधिसूचना सं०-940 दिनांक 01-04-2011	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
34	हैण्डलूम उद्योग के नियोजन	अधिसूचना सं०-938 दिनांक 01-04-2011	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
35	स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण के नियोजन	अधिसूचना सं०-948 दिनांक 01-04-2011	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
36	रिफ्रैक्ट्रीज फायर ब्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग के नियोजन	अधिसूचना सं०-956 दिनांक 01-04-2011	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
37	किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान के नियोजन	अधिसूचना सं०-984 दिनांक 01-04-2011	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
38	पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट के नियोजन	अधिसूचना सं०-988 दिनांक 01-04-2011	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
39	किसी विश्वविद्यालय, शैक्षणिक अथवा सांस्कृतिक संस्थान के नियोजन	अधिसूचना सं०-990 दिनांक 01-04-2011	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव



0	1	2	3	4	5	6	7	8
40	होटल, भोजन गृहों एवं रेस्तराओं के नियोजन	अधिसूचना सं०-994 दिनांक 01-04-2011	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
41	ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले किसी प्रतिष्ठान के नियोजन	अधिसूचना सं०-992 दिनांक 01-04-2011	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
42	डेयरी एवं पोल्ट्री फार्मर्स के नियोजन	अधिसूचना सं०-986 दिनांक 01-04-2011	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
43	ऑटो मोबाइल इंजीनियरिंग शॉप के नियोजन	अधिसूचना सं०-998 दिनांक 01-04-2011	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
44	सिनेमा उद्योग के नियोजन	अधिसूचना सं०-1006 दिनांक 01-04-2011	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
45	चावल मिलों, आटा मिलों, दाल मिलों के नियोजन	अधिसूचना सं०-1008 दिनांक 01-04-2011	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
46	तेल मिलों के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
47	सिलाई उद्योग के नियोजन	अधिसूचना सं०-1004 दिनांक 01-04-2011	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
48	रबर एवं रबर कम्पाउन्ड उद्योग (जिसमें टायर एवं ट्यूब का निर्माण भी सम्मिलित है) के नियोजन	अधिसूचना सं०-1010 दिनांक 01-04-2011	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
49	बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरोस्स ट्यूब निर्माण उद्योग के नियोजन	अधिसूचना सं०-1012 दिनांक 01-04-2011	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव



0	1	2	3	4	5	6	7	8
50	प्लानिस्टिक उद्योग के नियोजन	अभिसूचना सं०-1002 दिनांक 01-04-2011	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
51	सिमेन्ट से ह्यूम पाईप, बिजली का खम्भा एवं रेलवे स्लीपर बनाने के उद्योग के नियोजन	अभिसूचना सं०-1021 दिनांक 01-04-2011	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
52	कृषि नियोजन	अभिसूचना सं०-1019 दिनांक 01-04-2011	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
53	जिल्दसाजी उद्योग के नियोजन	अभिसूचना सं०-1023 दिनांक 01-04-2011	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
54	दफती, कार्डबोर्ड, पिल बोर्ड, कारगोट्टेड बोर्ड, एस्ट्रा बोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण के नियोजन	अभिसूचना सं०-924 दिनांक 01-04-2011	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
55	इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के नियोजन	अभिसूचना सं०-912 दिनांक 01-04-2011	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
56	प्लाइवुड उद्योग के नियोजन	अभिसूचना सं०-914 दिनांक 01-04-2011	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
57	ढलाई (फाउन्डी उद्योग) के नियोजन	अभिसूचना सं०-916 दिनांक 01-04-2011	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
58	बिस्कुट उद्योग के नियोजन	अभिसूचना सं०-918 दिनांक 01-04-2011	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
59	कोल ब्रिकेट उद्योग के नियोजन	अभिसूचना सं०-920 दिनांक 01-04-2011	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
60	प्राइवेट सिवयूरीटी ऐजेन्सी के नियोजन	अभिसूचना सं०-922 दिनांक 01-04-2011	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव




61	तयु अभियंत्रण उद्योग (स्वयंशासित अभियंत्रण दुकानों को छोड़कर) के नियोजन	अधिसूचना सं०-950 दिनांक 01-04-2011	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव
62	मिनरल ग्राइंडिंग के नियोजन	अधिसूचना सं०-972 दिनांक 01-04-2011	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव
63	बुहारने और सफाई का कार्या के नियोजन	अधिसूचना सं०-1017 दिनांक 01-04-2011	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव
64	घरेलु नौकर के नियोजन	अधिसूचना सं०-1000 दिनांक 01-04-2011	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव
65	स्वज आयरन छड़ निर्माण एवं तोहा से एंगल बनाने तथा इनागोट के नियोजन	अधिसूचना सं०-974 दिनांक 01-04-2011	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव
66	मोटर गैराज एण्ड वर्क्स शॉप्स के नियोजन	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव
67	मोटर बाड़ी बिल्डिंग के नियोजन	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव
68	मेस, कैन्टीन एवं बलब के नियोजन	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव
69	चार்டर्ड / कॉस्ट एकाउन्टन्स / ऑडिटर / टैक्स कंसल्टन्सी एण्ड आर्किटेक्ट के नियोजन	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव
70	प्राइवेट तकनीकी संस्थान, कोचिंग इन्स्टीट्यूट, निजी स्कूल आदि के नियोजन (शिक्षण कार्य छोड़कर)	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव
71	जमीन के नीचे वाटर सप्लाय पाइप लाइन एवं केबुल बिछाने के नियोजन	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव
72	इलेक्ट्रीसिटी जेनरेटर एण्ड सप्लाय के नियोजन	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव	तद्वैव



73	पंजाल आदि का साज सज्जा आदि के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
74	ग्राइडिंग एण्ड क्रशिंग ऑफ मिनरल ओर के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
75	सवारी एवं माल वाहक वाहन चलाने वाले ड्राइवर / खलासी / परिचाल क आदि के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
76	कम्प्यूटर शिक्षा संस्थान आदि के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

(संख्या-2/एम0डब्ल्यू-2071/2010, श्र0नि0. 1025  
झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

  
(सुबोध समिती)  
सरकार के अवर सचिव।

## Schedule-I

Sl No	Name of the Schedule Employment	Notification No. and Date	Rate of V.D.A. per point	Average of indices of July- Dec. 03 of Minimum rates of wages revised	Average of indices of July- Dec, 2009 on which V.D.A. is payable	Total Variation on Index	Amount of V.D.A. on the basis of increase in Price Index slab wise	Date from which additional V.D.A. is payable
1	Dam Construction and Irrigation	Notification No-932 Date 1.4.2011	1) Rs.127.00 up to 142.00- 3.24	3910	4120	210	1) Rs. 127.00 up to 142.00 Rs. 6.81 per day	From the date of the issue of notification
2	Shops Selling Cooked food stuff	Notification No-946 Date 1.4.2011	2) Above 142.00 up to 158.00 - 3.62 paise				2) Above Rs. 142.00 up to Rs. 158.00 = Rs. 7.62 per day	
3	Tanneries and Leather Manufactory	Notification No-958 Date 1.4.2011	3) Above is 158.00 up to Rs. 191.00- 4.03 paise				3) Above 158.00 up to 191.00 = Rs. 8.48 per day	
4	Cold Storage	Notification No-936 Date 1.4.2011	4) Above Rs. 191.00-4.88 paise				4) Above Rs. 191.00 Rs. 10.25 per day	
5	Distilleries	Notification No-930 Date 1.4.2011	<u>Monthly</u> 1) Rs. 3302.00 up to 3692.00=84.31 paise				<u>Monthly</u> 1) Rs. 3302.00 up to Rs. 3692.00 = Rs.177.06 per month	
6	Potteries	Notification No-960 Date 1.4.2011	2) Above 3692.00 up to Rs. 4108.00 = 94.34 paise				2) Above Rs. 3692.00 up to Rs. 4108.00=Rs.198.12 per month	
7	Bakeries and Confectionaries	Notification No-954 Date 1.4.2011	3) Above Rs. 4108.00 up to Rs. 4966.00=1.05 Rupees				3) Above Rs. 4108.00 up to Rs. 4966.00 = Rs. 220.48 per month	
			4) Above Rs. 4966.00 =1.27 Rupees				4) Above Rs. 4966.00=Rs.266.50 per month	


  
 [Signature]



31	Construction or maintenance of Road or in building construction	Notification No-928 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
32	Printing Press	Notification No-942 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
33	Mica Works (Factories and Establishment Excluding Mines)	Notification No-940 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
34	Handloom Industry	Notification No-938 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
35	Manufacture of Gold Articles of stistic design	Notification No-948 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
36	Refractory's, Fire bricks ceramic Industry	Notification No-956 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
37	Any shop or Establishment	Notification No-984 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
38	Public Motor Transport	Notification No-988 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
39	Any University, Educational Research or Cultural Institution	Notification No-990 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
40	Hotels, Eating House and Restaurant	Notification No-994 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
41	Any, Woolen Carpet making of Showl weaving Establishment	Notification No-992 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
42	Dairies and Poultry Farms	Notification No-986 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
43	Auto Mobile Engineering	Notification No-998 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
44	Cinema Industry	Notification No-1006 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-

45	Rice Mills, Flour Mills and Dal Mills	Notification No-1008 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
46	Oil Mills	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
47	Tailoring Industry	Notification No-1004 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
48	Rubber and Rubber Compound Industry (in which manufacture of Tyre and Tube is also included)	Notification No-1010 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
49	Electric and other type of bulb and Florence Tube	Notification No-1012 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
50	Manufacture Industry Plastic Industry	Notification No-1002 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
51	Cement Hume Pipe, Electric Pole and Railway sleeper	Notification No-1021 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
52	Manufacture Industry Employment in Agriculture	Notification No-1019 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
53	Book Binding Industry	Notification No-1023 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
54	Dafti, Card Board, Mill Board, Corrageted Board, Gatta Board	Notification No-924 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
55	Manufacture Electronics Industry	Notification No-912 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
56	Plywood Industry	Notification No-914 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
57	Foundry Industry	Notification No-916 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-


58	Biscuit Industry	Notification No-918 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
59	Coal Briquette Industry	Notification No-920 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
60	Private Security Agency	Notification No-922 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
61	Minor Engineering Industry (Excluding Automobile Engineering Shops)	Notification No-950 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
62	Mineral Grinding Industry	Notification No-972 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
63	Employment of Sweeping and Cleaning	Notification No-1017 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
64	Employment of Domestic Servant	Notification No-1000 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
65	Sponge Iron, Rod manufacturing, and manufacturing of angle from Iron and Ingots	Notification No-974 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
66	Employment in Motor garages and workshops	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
67	Employment of Motor Body Building	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
68	Employment of Mess, Canteens and Clubs	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
69	Employment in Chartered/Casts accounts, auditors, tax consultancy and Architect.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-



70	Private Technical Institution, Coaching Institute and Private Schools (Non teaching)	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
71	Employment in laying of Under ground cables, electric lines, water supply lines and sewerage Pipe line.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
72	Employment in Electricity Generator and supply	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
73	Employment in Decoration of Pandal etc.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
74	Grinding and crushing of Mineral ore.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
75	Employment of Bus and Truck Driver/Conductor and Cleaners.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
76	Computer Coaching Institute etc.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-

[No-2/MW-2071/2010, L & T..1026.....]

By order of the Governor of Jharkhand,

  
(Surya Deo Raim)  
Under Secretary of Government